न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 143/22 निर्णय दिनांकः 11-12-2023
(जीसीएमएस संख्या 2022/297)

1. ओमप्रकाश पुत्र बगडूराम जाति बिश्नोई निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 02—09—2011
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 02—09—2011 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के खारिज कर दिया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 19–02–2010 को चक 18 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 6/8 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आराजी जैर का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा इसी आधार पर अपीलांट् के नाम से उक्त भूमि का खाता खोला गया।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये दिनांक 02–09–2011 को कब्जे/किश्तों के अभाव का नोट लगाकर खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उक्त आदेश भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का आवंटन बिना सूचना के खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट् की पात्रता की जॉच करते हुए वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के नाम से पुनः बहाल की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–09–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 16–08–22 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट् को आवंटित भूमि कब्जे के अभाव में खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—09—2011 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—08—2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष श्रेणी वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 19—02—2010 को चक 18 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 6/8 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 02—09—2011 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि ओमप्रकाश पुत्र बगडूराम को आवंटित किये जाने व विधिवत पट्टा जारी व कब्जा दिये जाने का उल्लेख अंकित है। तदुपरान्त काश्त नहीं किये जाने व किश्तें जमा नहीं करने का कारण अंकित करते हुए रकबा निरस्त किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को आवंटनशुदा भूमि खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सूना जाना आवश्यक है।

(4) अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी जैर आज भी रिकार्ड में आराजीराज दर्ज चली आ रही है। चूंकि वर्तमान में आराजी जैर अन्य किसी को आवंटनशुदा न होकर रिकार्ड में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का आवंटन काश्त/किश्तों के अभाव में अपीलांट् को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 ता 4 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–09–2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, वादग्रस्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर